# कार्यालय आबकारी, मनोरंजन एवं विलासता कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

एल ब्लाक, विकास भवन, दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– **308**

दिनॉक :– 26.03.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री सोमनाथ भारती

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क) क्या आबकारी नियमों के अनुसार किसी शराब–उत्पाद या अन्य किसी उत्पाद, जिसका नाम किसी शराब उत्पाद के समान हो, का इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रतिबंधित हैं, | प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में शराब उत्पाद या अन्य किसी उत्पाद जिसका नाम किसी शराब उत्पाद के समान हो, का विज्ञापन दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियमों 26,27,28 तथा 29 के तहत होता हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–<br>**नियम 26. प्रिट मीडिया (पत्र–पत्रिकाओं) में विज्ञापन पर प्रतिबंध**<br>कोई व्यक्ति किसी समाचार–पत्र, पुस्तक, पुस्तिका, इश्तहार अथवा किसी अन्य प्रकाशन में शराब या मादक दवा या शराब के किसी ब्रैंड के समान नाम वाले किसी अन्य उत्पाद के इस्तेमाल अथवा पेशकश को दर्शाने वाला कोई विज्ञापन या कोई अन्य सामग्री प्रकाशित अथवा अन्यथा प्रदर्शित या वितरित नहीं करेगा।<br>**नियम 27. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिबंध**<br>कोई व्यक्ति अपने शराब उत्पाद अथवा शराब उत्पाद के समान नाम वाले किसी अन्य उत्पाद को इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा विज्ञापन केवल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रोग्राम कोड (कार्यक्रम संहिता) और ऐडवरटाइजमेंट कोड (विज्ञापन सहित) के अनुरूप न हो। |

| | |
|---|---|
| | **नियम 28. शराब के विज्ञापन वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध**<br>कोई व्यक्ति दिल्ली से बाहर मुद्रित और प्रकाशित किसी ऐसे समाचार–पत्र, पुस्तक, पुस्तिका, इश्तहार अथवा अन्य प्रकाशन का प्रसार, वितरण या बिक्री नहीं करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती नियम में वर्णित स्वरूप का कोई विज्ञापन या सामग्री निहित हो।<br>**नियम 29. विदेशी प्रिन्ट मीडिया (पत्र–पत्रिकाओं) को विज्ञापन प्रतिबंध से छूट**<br>नियम 26 और 28 के प्रावधान भारत से बाहर मुद्रित या प्रकाशित किसी अखबार, पुस्तक या पत्रिका पर लागू नहीं होंगे। |
| (ख) इन नियमों के कियान्वयन पर नज़र रखने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है, | समय–समय पर इनफोर्समेंट एक्टिविटी कराई जाती हैं। |
| (ग) जो अधिकारी इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके नाम व पदनाम क्या हैं, | इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी कानूनन लाईसेंस धारियों की हैं। समय समय पर या शिकायत मिलने पर प्रर्वतन शाखा द्वारा इन नियमों के प्रभावी कियांन्वयन के लिए कदम उठायें जाते हैं।<br>प्रर्वतन शाखा में तैनात अधिकारी व निरिक्षकों की सूची **संलग्नक "क"** पर हैं। |
| (घ) क्या इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, | उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। |
| (च) प्राप्त शिकायतों में से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई और शिकायत के जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम क्या हैं, | उपरोक्तानुसार लागू नहीं। |
| (छ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वतः ही कंपनी द्वारा किए गए नियम–उल्लंघन का संज्ञान लिया हो, और | ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नही आया। |
| (ज) उक्त में से प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई? | उपरोक्तानुसार लागू नहीं। |

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax, Vikas Bhawan, New Delhi-2

The following officer/inspectors working at Enforcement Branch:- अनुलग्नक 'क'

| S.NO. | NAME OF THE ENFOREMENT ASSITT. COMMR./ INSPECTOR |
|---|---|
| 01 | SHRI SANJEEV KUMAR SHARMA, AC (ENFORCEMENT) |
| 02 | SHRI NEERAJ VATS, INSP. |
| 03 | SHRI LAXMI NARAIN, INSP. |
| 04 | SHRI JITENDER SINGH, INSP. |
| 05 | RAJ KUMAR YADAV, INSP |
| 06 | SHRI VIJAY RAJ, INSP. |
| 07 | SHRI RAJESH VIJ, INSP. |
| 08 | SHRI SANJAY SINGH INSP. |
| 09 | SHRI SANJAY KUMAR, INSP. |
| 10. | SHRI PRAVEEN BHARDWAJ INSP. |
| 11. | SHRI NARENDER TOKAS INSP. |
| 12. | SHRI ASHOK KR MOLRI, INSP. |
| 13. | SHRI RAMESH CHAND, INSP. |

(SANJEEV KUMAR SHARMA)
ASSISTANT COMMISSIONER (ENFORCEMENT)